ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद (ऋणी), निवासी (1) – खसरा नं0 355 बाह रोड बाईपास के पास पोस्ट फतेहाबाद आगरा उत्तर प्रदेश – 283111, निवासी (2) – ग्राम /पोस्ट खेढ़ा हिरनेरनेवादा खेढ़ा इलैक्ट्रिक पोल के पास, शमशाबाद, आगरा –283125, श्री कालिका प्रसाद पुत्र श्री समोखी लाल (सह–ऋणी), श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री कालिका प्रसाद (सह–ऋणी) दोनों निवासी – 306ए ग्राम/पोस्ट खेढ़ा हिरनेरनेवादा खेढ़ा इलैक्ट्रिक पोल के पास शमशाबाद आगरा, उत्तर प्रदेश–283125	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 355 मोहल्ला काली नगर मौजा फतेहाबाद तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा–283125, एरिया–14.23 वर्ग मीटर + 156.56 वर्ग मीटर, कुल एरिया 170.79 वर्ग मीटर, सम्पत्ति –श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री कालिका प्रसाद के नाम। **चौहद्दीः सर्टीफिकेट के अनुसारः** पूरब – रोड, पश्चिम – आदेल सिंह कुशवाहा की कृषि भूमि, उत्तर – श्री रामेश्वर दयाल की सम्पत्ति, दक्षिण – बंगाली शर्मा की सम्पत्ति।	रू0 1872760.84 रू0 12079.82 दि. 17.02.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 21.02.2026 16.07.2026
मै0 अनवर ट्रेडिंग कम्पनी (ऋणी) प्रोपराइटर श्री अनवर पता– नवीन मंड़ी, स्थल घिरोर, निकट हॉस्पिटल, अजमाबाद एरोन, मैनपुरी उत्तर प्रदेश–205121, श्री अनवर पुत्र श्री ओसाफ (प्रोपराइटर/सह–ऋणी) निवासी–मोहल्ला फर्रास, घिरोर मैनपुरी –205121	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित मकान नं0 240/15, खसरा नं0 1268, मोहल्ला फर्रास, घिरोर कस्बा घिरोर तहसील व जिला मैनपुरी, एरिया–93 वर्ग मी0, **चौहद्दीः सर्टीफिकेट के अनुसारः** पूरब– भूमि रामबाबू, पश्चिम– मकान बजीर, उत्तर– भूमि रामबाबू, दक्षिण– 14 फीट चौड़ा रोड़।	रू0 7041809.23 दि. 26.02.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 26.02.2026 16.07.2026
मै0 गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी (ऋणी) प्रोपराइटर श्री संजीव कुमार अग्रवाल पता–340/6 माहावीर नगर, जिला फिरोजाबाद उ0प्र0–283203, श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश चंद अग्रवाल (ऋणी/प्रोपराइटर) पता – मकान नं0 340 गली नं0–6 महावीर नगर, जिला फिरोजाबाद उ0प्र0–283203, श्रीमती आशा अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश चंद्र अग्रवाल (गांरटर) **निवासी(1)**– मकान नं0 340–6, गली नं0–6, महावीर नगर, जिला फिरोजाबाद उ0प्र0–283203, **निवासी(2)**– मोहल्ला महावीर नगर मौजा दतोजी तहसील एवं जिला फिरोजाबाद उ0प्र0।	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति रिहायशी स्थित मोहल्ला महावीर नगर मौजा दतोजी तहसील एवं जिला फिरोजाबाद, उ0प्र0, एरियाः 2100 वर्ग फिट, सम्पत्ति श्रीमती आशा अग्रवाल उर्फ दयारानी उर्फ आशारानी पत्नी श्री दिनेश चंद्र अग्रवाल के नाम। **चौहद्दीः सर्टीफिकेट के अनुसारः** – पूरब– रास्ता गली 15 फीट चौडी, पश्चिम– मकान बनवारी लाल, उत्तर आराजी नेहरी, दक्षिण रास्ता गली 15 फीट चौडी।	रू0 10048568.32 दि. 16.03.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 02.04.2026 16.07.2026
मै0 ए जे इंटरनेशनल (ऋणी) प्रोपराइटर श्री अरहम जमई पता– मीजा नवाँ तल 13/18/1ए जमाल अख्तर कोहना के पास मुगलपुरा नई सड़क, मुरादाबाद 244001, श्री अरहम जमाल पुत्र श्री जमाल अख्तर (प्रोपराइटर/सह–ऋणी) **निवासी– (1)** 13/18/1ए कोहना के पास, मुगलपुरा नई सड़क, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद 244001, **निवासी– (2)** गाटा सं0 694, ग्राम– ताजपुर माफी, तहसील एवं जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश– 244001, श्रीमती नजमा परवीन पत्नी श्री जमाल अख्तर (गारंटर) निवासी– 13/18/1ए कोहना के पास मुगलपुरा नई सड़क, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद– 244001	**सम्पत्ति नं0 1.** रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित गाटा सं0 694, ग्राम–ताजपुर माफी, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, एरिया– 45.67 वर्ग मी0, सम्पत्ति श्री अरहम जमाल के नाम। **चौहद्दीः** पूरब– जमाल अख्तर की संपत्ति, पश्चिम– कमाल अख्तर की संपत्ति, उत्तर– श्री मोबिन की संपत्ति, दक्षिण– रास्ता 12 फीट चौड़ा।	रू0 3428587.00 रू0 2271977.42 दि. 19.12.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 07.01.2026 16.07.2026
सम्पत्ति नं0 2. रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित गाटा सं0 694, ग्राम– ताजपुर माफी, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, एरिया– 210.78 वर्ग मी0, सम्पत्ति श्री अरहम जमाल के नाम। **चौहद्दीः** पूरब– अनवार वाली की संपत्ति, पश्चिम– शाहिद की संपत्ति, उत्तर– रास्ता 18 फीट चौड़ा, दक्षिण– रास्ता 12 फीट चौड़ा।		
मै0 एस. के. टेक्सटाइल ट्रेडर्स (ऋणी) प्रोपराइटर श्री शाने आलम पता – ईदगाह रोड मोहल्ला इस्लाम नगर अमरोहा, ईदगाह के पास, अमरोहा, उत्तर प्रदेश–244221, श्री शाने आलम पुत्र श्री सैक अहमद, (सह–ऋणी) निवासी –198, मोहम्मदी सराय, अमरोहा, उत्तर प्रदेश–244221, श्री सैक अहमद पुत्र श्री अब्दुल हामीद (गांरटर) **निवासी (1)**– 198, मोहम्मदी सराय, अमरोहा, उत्तर प्रदेश – 244221, **निवासी (2)**– मोहम्मदी सराय, अंदरूनी कुंचा, अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश – 244221	रिहायशी/व्यवसायिक स्थित मोहम्मदी सराय, अंदरूनी कुंचा, अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश – 244221, एरिया– 55.76 वर्ग मीटर, सम्पत्ति – श्री सैक अहमद के नाम। **चौहद्दीः सर्टीफिकेट के अनुसारः** पूरब – कच्चा रास्ता, पश्चिम – मकान, उत्तर – श्री मुअज्जम का मकान, दक्षिण – कच्चा रास्ता।	रू0 2255375.25 दि. 20.03.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 24.03.2026 16.07.2026
श्री संजय सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह (ऋणी), श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री गोपाल सिंह (सह–ऋणी) दोनों **निवासी (1)**– मकान नं0 78 ब्रह्म नगर कॉलोनी मनी मोहल्ला चौमुहां (ग्रामीण) मथुरा उ0प्र0 पिनः 281406, **निवासी (2)** – मकान खसरा नं0 1017, 1103/5, भाग मौजा चौमुहां तहसील छाता सी.एस.आर.वी. इण्टर कॉलेज के पास, मथुरा उ0प्र0 – 281406	भूमि/सम्पत्ति स्थित मकान खसरा नं0 1017, 1103/5, भाग मौजा चौमुहां तहसील छाता सी.एस.आर.वी. इण्टर कॉलेज के पास, मथुरा उ0प्र0 –281406, एरिया– 125.41 वर्ग मीटर, **चौहद्दीः वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसारः** पूरब –रोड, पश्चिम – बल्लो की सम्पत्ति, उत्तर – खजान की सम्पत्ति, दक्षिण – विजेंद्र का मकान।	रू0 258857.99 रू0 23677.35 दि. 19.12.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 09.01.2026 16.07.2026
श्री विपुल जैन (ऋणी) पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार जैन पताः मकान नं0 47, मेन मार्केट अमीनगर सराय जैन मंदिर वाली गली, बागपत, उ0प्र0–250606, श्रीमती कुसुमलता जैन (सह–ऋणी) पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार जैन **पताः 1.** मकान नं0 47, मेन मार्केट अमीनगर सराय जैन मंदिर वाली गली, बागपत, उ0प्र0–250606, **पताः 2.** स्थित ग्राम लुहारा परगना एवं तहसील एवं जिला बागपत–250606	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित ग्राम लुहारा परगना एवं तहसील एवं जिला बागपत, एरियाः 490.53 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार के नाम, **चौहद्दीः सर्टीफिकेट के अनुसारः** पूर्व– अमीनगर सराय बिनौली मार्ग एवं मकान बलेश, पश्चिम– लता रानी की भूमि, उत्तर– बलेश का मकान एवं चक रोड, दक्षिण– लता रानी की भूमि।	रू0 5840142.77 रू0 30558.29 दि. 27.11.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 02.12.2025 16.07.2026
मै0 सुपर ट्रेडर्स (ऋणी) प्रोपराइटर श्रीमती पूजा अग्रवाल पताः 516/144 गाड़ीवान निकट ओल्ड राम चन्द्र रोड, मैनपुरी–205001, श्रीमती पूजा अग्रवाल (प्रोपराइटर/सह–ऋणी) पत्नी श्री प्रवीन अग्रवाल पताः 145, गाड़ीवान निकट ओल्ड राम चन्द्र मंदिर, मैनपुरी–205001, श्री प्रवीन अग्रवाल (गारंटर) पुत्र श्री शरद चन्द्र अग्रवाल पताः 516/144 गाड़ीवान निकट ओल्ड राम चन्द्र मंदिर, मैनपुरी–205001	**सम्पत्ति नं0 1.** रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 406, मौजा देवपुरा देहात, तहसील एवं जिलाा मैनपुरी, एरियाः 169.24 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री प्रवीन अग्रवाल के नाम, **चौहद्दीः** पूर्व– गौरव दुबे का मकान, पश्चिम– राघव यादव आदि का मकान, उत्तर– रोड 10 फीट चौड़ा, दक्षिण– प्रदीप त्रिपाठी का मकान।	रू0 29654465.19 रू 6816056.00 दि. 13.04.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 15.04.2026 16.07.2026
सम्पत्ति नं0 2. रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित हरी दर्शन नगर, तहसील एवं जिला मैनपुरी, एरियाः 139.5 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री प्रवीन अग्रवाल के नाम, **चौहद्दीः** पूर्व– हिमांशु राय लुथरा की भूमि एवं मुख्तारी, पश्चिम– हिमांशु राय लुथरा की भूमि एवं मुख्तारी, उत्तर– रोड 18 फीट चौड़ा, दक्षिण–रोड 18 फीट चौड़ा।		

दिनांकः 21.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ....the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

शाखाः चांदनी चौक, फतेहपुरी दिल्ली
पताः 166, कोरोनेशन बिल्डिंग फतेहपुरी चांदनी चौक, नई दिल्ली 110006 ई–मेल : bo000110@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के लिए कब्जा नोटिस

[नियम 8 (1)]

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **पंजाब नेशनल बैंक, शाखा फतेहपुरी चांदनी चौक** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, **2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12)** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस दिनांक **05.05.2026** जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता **श्री महेश चंद्र पुत्र श्री नौबत सिंह और श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री महेश चंद्र, दोनों निवासीरू मकान नंबर ए–35, ब्लॉक ए, सेक्टर एक्सयू 03, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201310 से नोटिस में उल्लिखित राशि रू. 29,14,835.14/– (रुपये उनतीस लाख चौदह हजार आठ सौ पैंतीस रूपये और चौदह पैसे मात्र),** जो कि दिनांक **01.05.2026** तक देय है (जिसमें **30.04.2026** तक का लागू ब्याज शामिल है), इसके अलावा आगे के ब्याज, खर्चों और अन्य शुल्कों आदि (भुगतान होने तक की गई वसूली को घटाकर) को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस की तारीख/नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, इसके द्वारा उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आज दिनांक **17 जुलाई 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति को वापस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन–देन पंजाब नेशनल बैंक के पास दर्ज प्रभार के अधीन होगा, जो कि दिनांक 30.04.2026 तक की बकाया राशि रू. रू. 29,14,835.14/– (रुपये उनतीस लाख चौदह हजार आठ सौ पैंतीस रूपये और चौदह पैसे मात्र) और उस पर लगने वाले आगे के ब्याज, खर्चों और अन्य शुल्कों के पूर्ण भुगतान तक लागू रहेगा।

संपत्ति का विवरण

मकान नंबर ए–35, ब्लॉक ए, सेक्टर एक्सयू–03, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201310 में निर्मित आवासीय मकान, जो कि श्री महेश चंद्र पुत्र श्री नौबत सिंह और श्रीमती मिथलेश, पत्नी श्री महेश चंद्र, दोनों निवासीः मकान नंबर ए–35, ब्लॉक ए, सेक्टर एक्सयू 03, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201310 के नाम पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर है और कवर्ड एरिया 99.60 वर्ग मीटर है।

दिनांक : 17.07.2026
स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजीकृत एडी/स्पीड पोस्ट, चिपकाकर, दस्ती द्वारा

कार्यालय ऋण वसूली अधिकारी–I ऋण वसूली अधिकरण–II, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

मांग सूचना

(बैंक तथा वित्तीय संस्थान के ऋणों की वसूली तथा बकाया, अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

टी.आर.सी./382/2023 — तिथिः 25.05.2026

निम्नलिखित के मामले में :

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम आकांक्षा वर्मा

सेवा में,

(सीडी 1.) **आकांक्षा वर्मा**, 189, इ–1, न्यू कॉलोनी सेक्टर–7, गुड़गांव, हरियाणा।
इसके अलावाः मैसर्स साइटेल इंडिया लिमिटेड, टावर 20 बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 1, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा।
इसके अलावाः 23/1, फ़्लैट नंबर 12, चौथी मंज़िल, हंसदीप अपार्टमेंट, महरौली, नई दिल्ली–110030.

(सीडी 2) **बुललैंड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड**
ए–2, बुलैंड हाउस देवली रोड, खानपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110062.
इसके अलावाः प्लॉट नंबर जीएच–3(ए), सेक्टर–16उ, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 19/2019 में आहरित आइबिड वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार **रु. 35,36,662.37 (रुपये पैंतीस लाख छत्तीस हजार छः सौ बासठ और सैंतीस पैसे मात्र)** आपकी ओर बकाया है। सीएच बैंक पेंडेंटलाइट और 27.07.2018 से वसूली तक 11.70% वार्षिक भावी ब्याज का साथ **रु. 35,36,662.37 (रुपये पैंतीस लाख छत्तीस हजार छः सौ बासठ और सैंतीस पैसे मात्र)** वसूल करने का अधिकारी है। संबंधित सीडी को आदेश दिया जाता है कि वे सीएच बैंक को डिक्री की राशि का भुगतान करें; ऐसा न करने पर, यह राशि सीडी की निजी चल और अचल संपत्तियों से वसूल की जाएगी।

आपको एतद्द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

एतद्द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप भावी कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 23.07.2026 को सुबह 11.00 बजे उपस्थित हों।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगेः

(ए) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।

(बी) इस नोटिस, वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की तामील और बकाया राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों पर हुए सभी खर्च और शुल्क।

न्यायालय की मुहर

(वात्सल्य कुमार)
वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

---

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
कानपुर शाखाः– तीसरी मंजिल, 16/104 ए, श्री सिद्धिविनायक बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, कानपुर – 208001 (यूपी)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों/सह–कर्जदार/गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों/ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यां) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह–कर्जदार का नाम / पता	ग्रेंटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
HOU/KNP/1120/834446, बी.ओ.: कानपुर	श्री/सुश्री मुकेश कुमार (उधारकर्ता) श्री/सुश्री सुमन देवी (सह–उधारकर्ता) मकान संख्या 158 बी, खेओरा नवाबगंज, कानपुर, नगर, उत्तर प्रदेश, भारत, 208001,	NA	आराजी नंबर 118, मौजा विसायकपुर कानपुर, उत्तर प्रदेश, 208001,	13.07.2026	रु.2204895.94 (रुपये बाईस लाख चार हजार आठ सौ पंचानबे और चौरानबे पैसे मात्र)

स्थानः– कानपुर, दिनांकः– 21.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

केन फिन होम्स लि.

63/3, ग्राउंड फ्लोर, पोतदार टावर, मॉल रोड, कानपुर (यूपी) - 208001. मो० - 7625079219
ईमेलः kanpur@canfinhomes.com CIN : L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] [अचल सम्पत्तियों के लिए]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा उक्त अधिनियम और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना निम्नवर्णित तिथियों को जारी की थी जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदारों/ गारंटरों से सूचना में वर्णित बकाया राशि तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार तथा गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे प्रत्येक कर्जदार के समक्ष वर्णित संपत्ति का कब्जा इसमें आगे वर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जदारों तथा गारंटरों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा की तिथि
1.	(1) श्री प्रशांत ओझा पुत्र ओम प्रकाश ओझा (2) श्रीमती शीला देवी पत्नी प्रशांत ओझा तथा (गारंटर) श्री सुबोध कुमार पुत्र लक्ष्मी कांत	आवासीय प्लॉट संख्या – 17, आराजी संख्या 304 मि. का भाग, (क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मीटर) गाँव– इमलीपुर, तहसील और जिला– कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, पिन–208021, **उत्तरः** प्लॉट संख्या 18, **दक्षिण :** प्लॉट संख्या 16, **पश्चिम :** प्लॉट संख्या 25, **पूर्व :** 18 फीट रोड।	12.05.2026	रु. 9,04,017/- (रुपए नौ लाख चार हजार सत्तरह मात्र) तथा उस पर ब्याज	17.07.2026
2.	(1) श्री संतोष कुमार शर्मा पुत्र राम लाल शर्मा (2) श्रीमती रानी पत्नी संतोष कुमार शर्मा तथा (गारंटर) श्री हिमांशु यादव पुत्र राम प्रसाद	आवासीय प्लॉट संख्या – 03, आराजी संख्या 304 मि. का भाग, (क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मीटर) गाँव– इमलीपुर, तहसील और जिला– कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, पिन–208021, **उत्तरः** प्लॉट संख्या 02, **दक्षिणः** प्लॉट संख्या 04, **पश्चिमः** 18 फीट रोड, **पूर्व :** अन्य भूमि।	12.05.2026	रु. 5,43,057/- (रुपए पाँच लाख तिरालिस हजार सत्तावन मात्र) तथा उस पर ब्याज	17.07.2026
3.	(1) श्री अजय वर्मा पुत्र रघुवीर वर्मा (2) श्री रघुवीर वर्मा पुत्र बालक राम वर्मा और (गारंटर) श्री निखिल गौतम पुत्र रज्जन लाल	प्राइवेट प्लॉट नंबर– 08, आराजी 272 खा का भाग, (क्षेत्रफल 50 वर्ग गज) गांव– पतरसा, तहसील और जिला– कानपुर नगर, यूपी., पिन–208020. **उत्तर :** प्लॉट नंबर 09, **दक्षिण :** प्लॉट नंबर 7–ए, **पश्चिम :** 5.47 मीटर रोड, **पूर्व :** आराजी 272 का हिस्सा.	30.12.2022	रु. 12,31,951/- (रुपए बारह लाख इकतीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) तथा उस पर ब्याज	17.07.2026

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार सीएफएचएल की प्रत्येक सम्पत्ति के सामने वर्णित बकाया राशि और उस पर पूर्ण भुगतान तक आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

तिथि : 20.07.2026, स्थान : कानपुर — हस्ता/–, प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD — ई- नीलामी सूचना

परिशिष्ट IV. I (नियम 6(2) & 9(1) परन्तुक देखें)
अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस । सामान्य रूप से आम लोगों तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां जो इंडियन बैंक, प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं का भौतिक/सांकेतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार, इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'जहां है', 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर दिनांक 07.08.2026 को समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक इंडियन बैंक, प्रतिभूति लेनदार द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (रों) से बकाया राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। सम्बन्धित संपत्ति / संपत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा धरोहर जमा राशि (ईएमडी) नीचे उल्लिखित हैः–

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः दिनांक 06.08.2026 शाम 4:00 बजे तक

| ऋणी(यों)/जमानतदार(रों)/बंधककर्ता (ओं) का नाम एवं पता | बंधक सम्पत्ति(यों) का विवरण | कब्जे का प्रकार | आर